अनुसूचित जन जाति के नाम दर्ज करने के आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये है। भूमि का कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों से खाली करवाने से पूर्व संपूर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर देने से यह संदेह पैदा करती है कि वास्तविक रूप से अनुसूचित जन जाति के लोगो उनका हक मिला भी है या नहीं। अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 32 द्वारा विवादित आराजी को हस्तान्तरित अथवा मौके की स्थिति में फेर बदल किया जाता हैं तो सबसे ज्यादा असुविधा प्रार्थीगण को होगी तथा ऐसी अपूरणीय होगी,जिसकी भरपाई रूपयों पैसो में किया जाना कतई संभव नहीं है। विवादित आराजी बाबत मौके पर भारी विवाद की स्थिति होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाछित बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला,सुविधा का संतुलन,अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत् पूर्णतया साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 बाबत् जारी करने अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

सरहद मौजा सांचोर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचोर जिला जालौर मे स्थित विवादित आराजी नवीन खसरा संख्या 1411 रकबा 0.16 हैक्टर के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक दोनो पक्ष मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(विजेन्द्र कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर
सांचोर
सहायक कलेक्टर,
सांचौर

आज दिनांक 13.04.2017 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर
सांचोर
सहायक कलेक्टर,
सांचौर